

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने की आर.पी.ए. में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यही बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें एक आदर्श अधिकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आगामी समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शर्मा शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षान्त परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बैच के 76 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और कड़ी तपस्या से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपराध इत्यादि के सम्बन्ध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आर.पी.एस. के 55वें बैच के दीक्षान्त समारोह में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।

बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल होना अत्यंत गर्व की बात है। महिला पुलिस अधिकारी से महिलाएं अपनी समस्याएं बेझिझक बताती हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई-नई चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को

निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ ही तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक की समझ भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए ईमानदारी सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुलिस को किसी भी तरह के दबाव में ना आकर सदैव धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस के लिए टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि पुलिसिंग एक टीम का काम है। जब हम साथियों के साथ

मिलकर काम करते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास से ही हम प्रत्येक चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में

- प्रशिक्षु आर.पी.एस. के 55वें बैच का दीक्षान्त समारोह आयोजित
- अपराध के बदलते स्वरूप में पुलिस रहे सजग एवं अपडेट : भजनलाल शर्मा

18.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार के मामलों में भी 9.24 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रख न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तकनीकी नवाचार, त्वरित अनुसंधान एवं कार्यकुशलता का अग्रगण्य कदम है। शर्मा ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरस्कृत किया तथा सामूहिक फोटो खिंचवाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीक्षान्त परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत तथा निदेशक आरपीए एस. सेंगाथर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देबाशीष पृष्ठि ने किया हाऊसिंग बोर्ड के शिविर का निरीक्षण

प्रमुख शासन सचिव ने शहरी सेवा शिविर में आमजन से लिया फीडबैक

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्ठि ने शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत्त-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिविर में आ रहे आमजन के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही आमजन के साथ संवाद करते हुए फीडबैक भी लिया। शिविर में आए हुए कई लाभार्थियों ने व्यवस्थाओं की सराहा तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया।



आवासन एवं नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्ठि ने शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत्त-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की मण्डल द्वारा आयोजित शिविरों में अब तक कुल 316 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिविरों में आवासीय योजनाओं,

भवन निर्माण अनुमति, लीज कन्वर्जन, नामान्तरण, बकाया निस्तारण सहित अन्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव व पांच बिजली कंपनियों के एम.डी. और अफसरों से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि बिजली कंपनियों के इंजीनियरों को यूडीएच में नियुक्ति क्यों दी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश पब्लिक अरोस्ट करणन संस्था की जनहित याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की पांच बिजली कंपनियों ने जेईएन की भर्ती की थी। लेकिन बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच विभाग में भेज

- मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों ने जे.ई.एन. की भर्ती की थी, परंतु बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच में भेज दिया गया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं।

दिया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं। केवल सरप्लस होने पर ही एक निगम से दूसरे निगम में नियुक्ति का नियम है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान,नियम या एक्ट नहीं है जिसमें किसी निगम या बोर्ड से सीधे ही सरकार में नियुक्ति दी जा सके। वहीं नगरीय विकास विभाग में इनकी नियुक्ति में

जिन नियमों का उल्लेख किया है उनके अनुसार इनको यूडीएच में समाहित नहीं कर सकते। ऐसे में ये नियुक्तियां पिछले दवाबों से दी हैं और इनमें नियमों का पालन नहीं किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा और राज्य सरकार से पूछा है कि इन अफसरों को किन नियमों से बिजली कंपनी से यूडीएच में समाहित किया गया है।

रिलायंस रिटेल मार्ट पर 100 किलो एक्सपायरी सामग्री जब्त

जयपुर । सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित मैसर्स रिलायंस रिटेल स्टोर से लगभग 100 किलो अवधिपार खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करवाई है। यह कार्रवाई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हुई।

पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे ग्रामीण तब दर्ज हुई भू-माफियाओं के खिलाफ एफ.आई.आर.

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के आतंक और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे थे लोग

जयपुर (कासं)। बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के बढ़ते आतंक और अवैध कब्जों से त्रस्त ग्रामीणों ने आखिरकार पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ से मुलाकात कर ज़ांपन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने एसीपी बस्सी को भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमाफिया गिरोह उनकी वैध रूप से खरीदी गई दुकानों और भूखंडों पर जबरन कब्जा कर रहा है। भू-माफियाओं ने बारंडूवाला तोड़कर व पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूखंडधारियों को जान से मारने की धमकियां दी।

पीडित सतीश सोनी ने बताया कि आरोपी उनकी दुकानें तोड़कर मलबा तक ट्रैक्टर-ट्रालियों में भरकर ले गए ताकि दुकान का सबूत भी मिटाया जा सके। वहीं, रामदयाल जोगी ने कहा कि वे 20 वर्षों से अपने मकान में रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी है, इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गैरकानूनी कब्जे किए और दुकानों व भूखंडों को नुकसान पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि गोनेर रोड स्थित सिमरन वाटिका में वर्ष 2005 में भूमि विक्रय हुई थी। इसके बाद से लोगों ने मूल खतेदारों से भूखंड खरीदकर कॉलोनियों विकसित की और निर्माण कार्य किया।

पुत्र से जुड़े मामले में उडीसा के पूर्व डीजी विद्याभूषण मोहंती दोष मुक्त

जयपुर (कासं)। सेट्रल जेल जयपुर में सजायापात्र पुत्र को 18 साल पहले 20 नवम्बर, 2006 को पेरौल पर छुड़ाने के बाद फरार कराने तथा पकड़ने गई वैशाली नगर-जयपुर पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-04, मेट्रो-द्वितीय ने आरोपी रहे उडीसा के पूर्व महा निदेशक होमगार्ड 75 वर्षीय विद्याभूषण मोहंती को दोषमुक्त कर दिया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने लाल कोठी पुलिस थाने में 10 जनवरी, 2007 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। अनुसंधान पुलिस ने पूर्व आईपीएस विद्याभूषण मोहंती के खिलाफ अदालत ने 23 जनवरी, 2008 को चार्जशीट पेश की थी। विद्या भूषण मोहंती



बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं की शिकायत लेकर स्थानीय ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे।

पीडितों का कहना है कि इस कॉलोनी में 20 से अधिक लोगों ने भूखंड और दुकानें खरीदी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई नहीं करती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रामबाबू शर्मा, कमल कुमार शर्मा, मुकेश मोना और बाबूलाल मोना समेत कई लोगों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और मारपीट कर डराने-धमकाने का आरोप है। पूर्व में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पीडित ने एसीपी विनय डी.एच. से भी शिकायत की

थी। इसके बाद एसीपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने भी पीडितों से फोन पर बात कर हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश शर्मा ने बताया कि पीडितों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर दावा किया जाएगा। उन्होंने भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को गलत ठहराते हुए पीडितों को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

2 क्विंटल डोडा-चूरा तस्करी में लिप्त दंपति व बेटा गिरफ्तार

जयपुर । आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की सप्लाई का काम करने वाले इनामी शाहिर तस्करी को उसकी पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार किया है। जिस के चलते इन पर पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं की ओर से आरोपित पर बीस हजार का इनाम रखा हुआ था। एटीएस की टीम ने दो माह तक इन पर नजर रखी जिस के बाद इनकी गिरफ्तारी की । एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि एटीएम टीम ने सीकर जिले से वर्ष 2024 में करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा के तस्करी के मामले में फरार शेखावाट कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन,उसकी पत्नी शहनाज बानो सहित बेटे जाबिद को एटीएस की टीम ने झुंझुनू जिले के बिसाऊ पुलिस थाना के पास से पकड़ा है। गिरफ्तार इनामी तस्करी

आरिफ हुसैन अपने बेटे जाबिद के नाम से रजिस्टर्ड ट्रक (कंटेनर) से मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त होने पर फरार चल रहा था। आरिफ हुसैन कम पछा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनेवा गाडी व बेटे जाबिद के नाम से ट्रक (कंटेनर) खरीदे। मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरिफ हुसैन की पत्नी शहनाज बानो व बेटा जाबिद भी फरार चल रहे थे। इनामी आरिफ हुसैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीकर में किराए का मकान लेकर मजदूरी करने की जानकारी पुलिस टीम को मिली। पिछले दो महीने से एटीएस की टीम सीकर में आरिफ के किराए के घर की पहचान करने के लिए जुटी हुई थी।

टैक्स चोरी पर ट्रांसपोर्टर्स के 6 गोदाम सील, 17 वाहन जब्त

जयपुर । राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा की 9 टीमों को गोपनीय रूप से राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर तैनात किया गया। जहाँ से टेकिनकल सर्विलांस के द्वारा बिना ई वे बिल और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहनित करने वाले 17 वाहनो को जब्त किया गया है। गत सोमवार को जयपुर के 6 प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनियों के गोदामों में एक साथ कार्यवाही कर बड़ी कर चोरी उजागर की है। गिल संघु ट्रांसपोर्ट, जडिया ट्रांसपोर्ट, क्रियाशक्ति, सुनील ट्रांसपोर्ट और पीसीएम कार्गो के ये गोदाम जयपुर के वी.के.आई.एरिया तथा ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित है। इन गोदामों से भारी मात्र में रेडीमेड, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रिक आईएम आदि के 1 हजार 960 नग जब्त किए हैं। जिनका आर्थिक आकलन किए जाने पर इन्का बाज़ार मूल्य करोड़ों रूपये पाया गया है। यह माल राज्य के बाहर से बिना कर चुकाए राज्य में लाया जा रहा था।

राजेश्वर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया

जयपुर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं पूर्व राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने पर आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोटिया एवं अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया ।

इस अवसर पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों एवम विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में पूर्णतया वैधानिकता,निष्पक्षता, तटस्थता,तुटिहीनता एवं पारदर्शिता के आधार पर संचर कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी आयोग की मंशा के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता व तटस्थता का परिचय देंगे तथा वैधानिक प्रवधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि राजेश्वर सिंह को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौर एवं जयपुर तथा



राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा महा निदेशक,इंदिरा गांधी प